भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2835
12 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कर्नाटक में सीजीएचएस सुविधा

2835. श्री प्रज्जवल रेवन्ना:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत शहरों के चयन के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन शहरों का ब्यौरा क्या है जहां सीजीएचएस सम्पूर्ण स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का मैसूर शहर में सीजीएचएस सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो इससे सेवारत और पेंशनभोगियों सहित कितने लाभार्थियों को लाभ होने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार का कर्नाटक के अन्य टियर- 2 शहरों अर्थात् मंगलोर, हुबली-धारवाड़, गुलबर्गा में सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): किसी नये शहर में सीजीएचएस आरोग्य केंद्र खोलने हेतु मानदंडों के अनुसार वहां कम से कम 6,000 कार्डधारक होने चाहिए।

(ख): पिछले तीन वर्षों में नए सीजीएचएस आरोग्य केंद्र वाराणसी, बागपत, ग्वालियर, सोनीपत, कोच्चि, कन्नुर, कोझीकोड, फरीदाबाद (नया) और श्रीनगर में स्थापित किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, सीजीएचएस ने 01/04/2019 से निम्न स्थानों पर स्थित 33 पोस्टल स्वास्थ्य केंद्रों का अधिग्रहण किया हैः-

आगरा, अजमेर, अलीगढ़, अम्बाला, अमृतसर, बरेली, बेहरामपुर, छपरा, कटक, दरभंगा, धनबाद, डिब्रुगढ़, गया, गोरखपुर, गुंटूर, जालंधर, जलपाईगुड़ी, जोधपुर, कोटा, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, नैल्लोर, रायपुर,

राजमुंद्री, सहारनपुर, सिलचर, सिलीगुड़ी, तिरूनेलवेली, तिरूचिरापल्ली, वड़ोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम।

(ग): जी, हां। मैसूर में प्रस्तावित आरोग्य केंद्र से लाभान्वित होने वाले संभावित लाभार्थियों की संख्या लगभग 20,000 है।

(घ): जी, नहीं।

******